भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

GOVERNMENT OF INDIA

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

सं. 15/3/2009/एसटीजीएमपी/एसईओटीएच/आरयू–3

छठी मंजिल, 'बी' विंग, लोकनायक भवन
खान मार्केट, नई दिल्ली–110003
6TH Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi–110003
दिनांक : 17.10.2013

सेवा में,

मुख्य सचिव,
मध्य प्रदेश सरकार,
भोपाल

विषयः मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु संचालित कार्यक्रमों की मध्य प्रदेश शासन के उच्च अधिकारियों के साथ भोपाल में ली गयी समीक्षा बैठक दिनांक 11.08.2010 का कार्यवृत।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस आयोग के समसंख्यक पत्र दिनांक 16.08.2013 का संदर्भ ग्रहण करें। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के विकास संचालित कार्यक्रमों की आयोग द्वारा दिनांक 11.08.2010 को ली गयी समीक्षा बैठक के कार्यवृत पर चर्चा हेतु आयोग के माननीय अध्यक्ष डा0 रामेश्वर उरांव ने प्रकरण पर चर्चा हेतु दिनांक 29.08.2013 को मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन तथा प्रमुख सचिव, अनुसूचित जनजाति विकास विभाग, मध्य प्रदेश शासन को आयोग मुख्यालय में बुलाया गया था किन्तु आपकी ओर से बिना अधिकृत किए श्री जी.एस. नेताम, अतिरिक्त आयुक्त, कार्यालय आदिवासी विकास विभाग, मध्य प्रदेशा शासन दिनांक 29.08.2013 को आयोग के समक्ष उपस्थित हुए।

आयोग ने पाया कि उक्त तिथि को आयोग में उपस्थित नहीं होने संबंधी आपके द्वारा कोई उचित कारण एवं जानकारी आयोग को नहीं भेजी गयी थी जिसे आयोग ने गंभीरता से लिया है तथा अतिरिक्त आयुक्त कार्यालय, आयुक्त, आदिवासी विकास, मध्य प्रदेश शासन ने आयोग को समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त का पालन प्रतिवेदन उपरोक्त दिनांक 29/08/2013 को समर्पित किया गया है जिसके तहत निम्नलिखित जानकारी दी –

1. आयोग द्वारा समीक्षा में अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता एवं शिक्षा विशेषतः महिला शिक्षा को बढाने पर जोर दिया गया जिस पर मध्य प्रदेश शासन द्वारा सर्व शिक्षा अभियान कन्या शिक्षा परिषद एकलव्य आवासीय विद्यालय, अधिक छात्रवृति का भुगतान और छात्राओं को साईकल तथा कन्य प्रीमैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों आदि सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं

2. आयोग द्वारा सुझाव दिया गया कि अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के लिए छात्रावास/आश्रमशालएं शहरों में खोली जाए जिस पर मध्य प्रदेश शासन द्वारा विद्यार्थियों की सुविधाओं के अनुरूप छात्रावास/आश्रमशालाएं खोलने को प्राथमिकता दी जा रही है।

3. आयोग द्वारा अनुसूचित जनजातियों की बालिकाओं के लिए अलग से नर्सिंग कॉलेज खालने तथा उन्हें रोजगार देने का सुझाव दिया गया। मध्य प्रदेश शासन द्वारा अवगत कराया है कि राज्य में अनुसूचित जनजाति के लिए 11 नर्सिंग सेन्टर, 47 नर्सिंग कॉलेज एवं 2 एलएचवी ट्रेनिंग सेन्टर संचालित हैं।

4. आयोग द्वारा सुझाव दिया गया कि अनुसूचित जनजाति के छात्रों को अंग्रेजी विषय के लिए अलग से कोचिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए। मध्य प्रदेश शासन द्वारा अवगत कराया गया है कि 89 आदिवासी विकास खंडों में कक्षा 1 से 5 तक अंग्रेजी माध्यम से संचालित आश्रमशालाएं खोली गयी है।

5. आयोग ने सुझाव दिया है कि एनजीओ द्वारा संचालित शिक्षाशालाओं के लिए प्राप्त अनुदान पर राज्य सरकार द्वारा किस प्रकार की गाईडलाईन जारी है। मध्य प्रदेश शासन ने अवगत कराया कि एनजीओ आदिम जाति अनुसूचित जाति कल्याण विभाग अशासकीय संस्था अनुदान नियम, 1985 से शासित है।

6. आयोग ने सुझाव दिया कि अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के लिए रिक्त रहने वाली सीटों को भरा जाए। मध्य प्रदेश शासन ने अवगत कराया है कि राज्य में विशेषतः मण्डला, धार एवं बैतुल जिले में पोलिटेकनिक कॉलेज एवं आईटीआई संस्थान खोले गए हैं।

7. आयोग ने सुझाव दिया कि राज्य में पोलिटेकनिक कॉलेजों में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों हेतु आरक्षित सीटें को पूर्णतः भरने का प्रयास किया जाए। राज्य शासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

अतः आपसे अनुरोध है कि आयोग के उपर्युक्त बिन्दुओं पर की हुई प्रगति से आयोग को अवगत करवाने का कष्ट करें।

भवदीय,

के० डी० बन्सौर

(के.डी. बन्सौर)
उप निदेशक

प्रतिलिपिः

1. प्रमुख सचिव, अनुसूचित जनजाति विकास विभाग, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल को सूचनार्थ।

के० डी० बन्सौर

(के.डी. बन्सौर)
उप निदेशक

2. एस० एस० ए०. एन. आई.सी.